कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

संख्याः 1375/आठ-[illegible]/2018-[illegible]

दिनांकः 11 मार्च, 2019

—विज्ञप्ति—

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 की धारा–59 तथा शासनादेश संख्या–1722/एक–1/2006–12(23)/06–141–रा०–1 दिनांक 06–11–2006, शासनादेश संख्या–प्र० सं०87/एक–1/2010–5–1(43)/2009–53 दिनांक 19–04–2010, शासनादेश संख्या–744/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक 03–06–2016 व शासनादेश संख्या–745/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत एवं जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्र संख्या–1415/सात–डी०एल०आर०सी०–क्ले०गा०बाद/पुर्न/2019 दिनांक 25–02–2019 में की गई संस्तुति तथा प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1131/आठ–1–17–08विविध/2016 दिनांक 11–07–2018 एवं राजस्व विभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–यू०ओ०–201/एक–1–2018–रा०–1 दिनांक 07–12–2018 में दिये गये निर्देशों/प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुये, मैं अनीता सी० मेश्राम, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ निम्न अनुसूची के स्तम्भ–6 व 7 में उल्लिखित ग्रामसभा की भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ तथा प्रश्नगत भवनों के निर्माण हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में निःशुल्क आवंटित किये जाने के लिये उत्तर प्रदेश, शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को हस्तान्तरित की जाती है–

—अनुसूची—

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा नं०	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	विशेष प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुर्नग्रहित की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
गाजियाबाद	गाजियाबाद	लोनी	नूरनगर	नूरनगर	315ख	0.5980	प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु
					343	1.0750	
					351मि०	0.2410	
					कुल रकबा	1.9140है०	

आज्ञा से,

(अनीता सी० मेश्राम)
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृष्ठांकन एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
4. अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय प्रैस, उ०प्र०, इलाहाबाद को दो प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति शासकीय गज़ट में प्रकाशित कराते हुए गज़ट की प्रति इस कार्यालय/ज़िलाधिकारी, गाजियाबाद/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ को भी भिजवाने का कष्ट करें।
5. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
6. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

(रजनीश राय)
अपर आयुक्त,
कृते आयुक्त।

E:/Ayaz/RA 2/Notifications.docx

Scanned with CamScanner

	133	0.7840	दृष्टिगत रखते हुए, मैं अनीता सी॰ मेश्राम, आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ निम्न अनुसूची के स्तम्भ 6 व 7 में उल्लिखित ग्राम सभा की भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ तथा प्रश्नगत भवनो के निर्माण हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में निशुल्क आवंटित किये जाने के लिए उत्तर प्रदेश, शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। - अनुसूची - जिला गाजियाबाद, तहसील गाजियाबाद, परगना लोनी, ग्राम नूरनगर, ग्राम सभा नूरनगर, खसरा न॰ 315ख क्षेत्रफल 0.5980है॰, खसरा न॰ 343 क्षेत्रफल 1.0750है॰, खसरा न॰ 351मि क्षेत्रफल 0.2410है॰ कुल रकबा 1.9140है॰, विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुर्नग्रहित की जाती है - प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु । ह.अ.र.का.। 1429-फ कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद पत्रांक 1043/सात-डी॰एल॰आर॰सी कले॰ गा॰बाद - 2021 दिनांक 15.06.2021 आदेश / विज्ञप्ति - - - शासनादेश संख्या 32/744/एक- 1- 2016- 20(5) /2016 दिनांक 03 जून 2016 का आंशिक परिस्कार करते हुए और उत्तद प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं॰ 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं॰ 55/740/एक-1- 2016-20(5) /2016 दिनांक 03 जून 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारो का प्रयोग करते हुए मैं राकेश कुमार सिंह , जिलाधिकारी गाजियाबाद निम्न अनुसूची के स्तम्भ 6 व 7 (गाटा सं॰ व क्षेत्रफल) में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम सभा/स्थानिय प्राधिकारी में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ । अनुसूची - - - क्र॰सं॰ 1, जिला- गाजियाबाद, तहसील - गाजियाबाद, परगना -लोनी , ग्राम - नूरनगर, गाटा सं॰ - 396मि, क्षेत्रफल- 0.1600, भूमि की श्रेणी/प्रकृति - श्रेणी 5-3ड बंजर, विवरण परियोजना जिसके लिए भूमि के पुनर्ग्रहण किया जा रहा है- जनपद गाजियाबाद के नवसृजित थाना नन्दग्राम की स्थापना हेतु ग्रह (पुलिस) विभाग , उ॰प्र॰ शासन लखनऊ के पक्ष । राकेश कुमार सिंह जिलाधिकारी गाजियाबाद । ह.अ.र.का.।
	152	0.0130	
	153	0.0630	
	154ख	0.1380	
	171	0.1260	
	173	0.1260	
	174	0.0250	
	182	0.0760	
	184	0.0250	
	186	0.3040	
	187	0.3290	
	189	0.1140	
	190	0.1640	
	197	0.1140	
	198	0.0130	
	199	0.1140	
	200	0.0250	
	201	0.1140	
	202	0.0630	
	203	0.1010	
	213	0.5060	
	215	0.0250	
	219	0.1770	
	222मि	0.6960	
	223मि	0.0760	
	225ग	1.2650	
	228	1.9470	

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By. National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

Digital India

Scanned with CamScanner